राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार

निविदा सूचना

केन्द्रीय राज्य फार्म, 10 किलोमीटर सिरसा रोड हिसार मे 2025-26 बोई गई सरसों, मसूर व मटर आदि फसलों को काटकर इकट्ठा करने कम्बाईन में झुकाई थ्रेशिंग आदि करने हेतु निविदाए आंमत्रित की गयी है जिसके लिए दो बीड (टेक्निकल व वितीय) अलग-2 लिफाफे में निविदाए दिनांक 11.2.2026 को अपरान्ह 3.00 बजे तक आंमत्रित की जाती है ।यदि उपरोक्त तिथि को निविदाएं असफल रही तो दोबारा दिनांक 18.2.2026 व 25.2.2026 को निविदाएं ली जायेगी । लाटों की संख्या व अन्य शर्ते हमारी website www.indiaseeds.com पर देखी जा सकती है इस निविदा के सम्बंध मे कोई भी बदलाव की जानकारी केवल वैबसाइट पर ही अपडेट की जाएगी।

पत्रांक: के.रा.फा./हिसार/6-16/कृषि/2026 दिनांक-28-01-2026

तकनीकी निविदा

विवरण	जानकरी
निविदादाता का नाम	
निविदादाता के पिता का नाम	
निविदादाता का पूरा पता	
निविदादाता की दूरभाष नंबर	
पेन कार्ड की प्रतिलिपि	
पहचान पत्र/आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस की प्रतिलिपि	
बैंक की पास बुक की प्रति/चेक की प्रति	
हस्ताक्षरित नियम एवं शर्ते	

हस्ताक्षर

GST 06AABCN8973F2Z7 E-mail: csf.hisar@indiaseeds.com

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम–मिनिरत्न कम्पनी)
NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.
(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)
CIN: U74899DL1963G-OI003913
केन्द्रीय राज्य फार्म/Central State Farm
10 किमी0 सिरसा रोड, हिसार/10 KM. Sirsa Road Hisar-125001
मुख्यालयः बीज भवन, पूसा परिसर नई दिल्ली–12/ BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-12

पत्रांक: के.रा.फा./हिसार/6-16/कृषि/2025-26 दिनांक-28-01-2026

निविदा सूचना

केन्द्रीय राज्य फार्म, 10 किलोमीटर सिरसा रोड हिसार मे 2025-26 बोई गई सरसों, मसूर व मटर आदि फसलों को काटकर इकट्ठा करने कम्बाईन में झुकाई थ्रैशिंग आदि करने हेतु निविदाए आंमत्रित की गयी है जिसके लिए दो बीड (टेक्निकल व वितीय) अलग-2 लिफाफे में निविदाए दिनांक 11.2.2026 को अपरान्ह 3.00 बजे तक आंमत्रित की जाती है ।यदि उपरोक्त तिथि को निविदाएं असफल रही तो दोबारा दिनांक 18.2.2026 व 25.2.2026 को निविदाएं ली जायेगी । लाटों की संख्या व अन्य शर्ते हमारी website www.indiaseeds.com पर देखी जा सकती है इस निविदा के सम्बंध मे कोई भी बदलाव की जानकारी केवल वैबसाइट पर ही अपडेट की जाएगी।

Account Details:

A/c holder Name : National Seeds Corporation Limited
Bank Name : State Bank of India
Branch Name : New Grain Market Hisar
A/c No. : 33957537351,
IFSC Code : SBIN0005700

प्रबंधक (उत्पादन)
कृते फार्म प्रमुख

Annexure 2

National Seeds Corporation Limited

Central State Farm Hisar

Technical Bid (To be Submitted in a Sealed Envelope)

Farm Head

National Seeds Corporation Limited

Central State Farm Hisar

Sir,

I/We ____(Specify the status of the tenderers) having read the tender documents and the various terms and conditions of contract attached herewith, hereby agree to abide by the terms and conditions of the tender.

1. Name of Tenderer:____
2. Permanent Address: ____
3. Telephone No. ______________________________Mobile No._______________________________
4. ID No. (Voter ID/Aadhar Card, etc.)_____________________(Copy may be enclosed)
5. Copy of bank details/passbook may be enclosed.

Date: **Signature of the tenderer**

(Name______________________)

Mobile No:-

GST 06AABCN8973F2Z7 E-mail: csf.hisar@indiaseeds.com

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम—मिनिरत्न कम्पनी)
NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.
(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)
CIN: U74899DL1963GOI003913
केन्द्रीय राज्य फार्म/Central State Farm
10 किमी0 सिरसा रोड, हिसार/10 KM. Sirsa Road Hisar-125001
मुख्यालयः बीज भवन, पूसा परिसर नई दिल्ली—12/ BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-12

पत्रांक: के.रा.फा./हिसार/6-16/कृषि/2026 दिनांक-28-01-2026

वित्तीय बिड (Financial Bid)

सेवा में,

फार्म प्रमुख,
केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार।

श्रीमान जी,

निवेदन है कि मै आपके फार्म पर रबी–2025–26 के दौरान बोई गई फसलों को काटकर इकट्ठा करना, फार्म कम्बाईन में झुकाई करना (मटर व मसर) व ठेकेदार के थ्रेशर (सरसों) से थ्रेशिंग करने आदि का ठेका लेना चाहता हूं और लोट वार दरें नीचे दी गई है। मुझे फार्म की सभी भार्ते मन्जूर है तथा मैने भार्तो पर हस्ताक्षर भी कर दिये है । धरोहर राि ा फार्म के खाते में जमा करवा दी है।

लाट न.	ब्लॉक	चक	फसल	क्षेत्रफल एकड़ मे	दर प्रति एकड़
1	1	2000 RD	सरसों + साग सरसों + मटर (88 एकड़) (19एकड़) (17 एकड़)	124	
2	1	68025 RD	सरसों + मटर + मसर (81 एकड़) (37 एकड़) (4 एकड़)	122	
2	1	9000RD +72000 RD	सरसों + साग सरसों + मटर (147 एकड़) (16.5एकड़) (71.5 एकड़)	235	
3	2	78/80000RD+75000RD	सरसों + मटर (232 एकड़) (36.5 एकड़)	268.5	
4	2	17000RD+21000RD	सरसों + मटर + मसर (163 एकड़) (13 एकड़) (2 एकड़)	178	
5	2	13000RD	सरसों + मटर + मसर (153.5 एकड़) (19.5 एकड़) (4 एकड़)	177	
6	3	23000RD	सरसों 135 एकड़	135	
7	3	38Tail/Nursery	सरसों 221.75 एकड़	221.75	
8	3	86L	सरसों 147 एकड़	147	
9	3	Dhandoor	सरसों 194.5 एकड़	194.5	
10	3	86R	सरसों 203.5 एकड़	203.5	

उपरोक्त सभी लॉटो की दर भरना अनिवार्य है, अन्यथा आपकी निविदा निरस्त की जा सकती है |

ठेकेदार के हस्ताक्षर

(नाम ....)

पूर्ण पता ....

फोन न0 ....

खाता न0.............................

पैन न0.............................

IFSC Code No. ....

फार्म पर रबी 2025-26 के दौरान बोई गई फसलों को काटकर इकट्ठा करना, फार्म कम्बाईन में झुकाई करना व ठेकेदार के थ्रैशर से थ्रैशिंग आदि कार्यो के लिये नियम व शर्ते——

दिनांक : 28/1/2026

प्रत्येक निविदादाता को निविदा में भाग लेने के लिए रुपये 20,000/– धरोहर राशि/बयाना राशि (EMD)जमा करनी इसके अतिरिक्त उसे 20000/- प्रति लॉट के तीन दिन के भीतर NEFT or RTGS के माध्यम से जमा कराने होगे। जो प्रतिभूति राशि होगी। जो की असफल निविददाता को उसके बैंक खाते में बिना ब्याज उसकी धरोहर/बयाना राशि(EMD) लौटा दिए जायेंगे । कार्य का क्षेत्र घटाया या बढ़ाया जा सकता है ।

1 प्रक्षेत्र का अंकित फासलिया क्षेत्रफल अंतिम रूप से सही माना जायेगा। यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह निविदा देने से पूर्व अपनी शंका का समाधान करा सकता है । निविदा के बाद किसी का कोई तर्क मान्य नहीं होगा।

2. मजदूरों का प्रबन्ध ठेकेदार को करना होगा व उन्हें कार्य स्थल पर लाने व ले जाने की जिम्मेवारी स्वयं ठेकेदार की होगी ।

3. प्रक्षेत्र में निविदादाता या उसके आदमियों द्वारा कोई गलत कार्य या चोरी आदि किए जाने पर ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।

4. ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिक ठेकेदार के दायित्व पर कार्य करेंगे व उनके हर प्रकार के लाभ हानि की जिम्मेवारी स्वयं ठेकेदार की होगी ।

5. समय पर कार्य पूरा न करने पर फार्म को जो हानि होगी उसकी भरपाई ठेकेदार को करनी होगी । उस स्थिति में ठेका किसी अन्य को देकर या फार्म के मजदूरों से कार्य करवा लिया जाएगा तथा इस मद में फार्म का जो अतिरिक्त खर्चा होगा उसका भुगतान ठेकेदार को करना होगा ।

6. यदि ठेकेदार कार्य करने में असफल हो जाता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी तथा थोड़े बहुत किये गये कार्य का भुगतान नहीं किया जायेगा।

7. फसल की कटाई खण्ड प्रभारी/चक प्रभारी के आदेशानुसार तुरन्त भाुरू करना होगा व भाीघ्र अति भाीघ्र पूरा करना होगा। यदि कटाई व गहाई विलम्ब होने से फार्म को नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई ठेकेदार को करनी होगी ।

8. ठेकेदार द्वारा काटी गई फसल को बड़े बड़े ढ़ेर प्रति एकड़ में 4–5 जगह पर इकठ्ठा करना होगा तथा खलिहान की सफाई थ्रैशिंग के समय साथ ही साथ करनी होगी ।

9. सरसों की कटाई जमीन से एक फुट उपर से करनी होगी जिससे गहाई के समय भूसे के साथ साथ फसल का दाना बाहर भूसे में न जा सके । **यदि दरे शून्य से कम स्वीकृत होती है तो** ठेकेदार को सरसों का सारा पैसा बैंक **SBI A/c No. 33957537351** में जमा कराना होगा तभी तूड़ा उठाने दिया जायेगा ।

10. ठेकेदार द्वारा लगाए गए मजदूरों के वेतन के भुगतान की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी । प्रत्येक ठेकेदार को प्रत्येक बिल पर प्रमाणित करना होगाकि उसके द्वारा लगाए गये मजदूरों का भुगतान कर दिया गया है । फार्म इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

11. श्रम अधिनियम के सभी उपबन्धों की पालना करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। किसी अधिनियम का उल्लघंन की सूरत में फार्म जिम्मेदार नहीं होगा।

12. भविष्य निधि अधिनियम और ई0एस0आई0 के उपबन्धों के पालन करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी । यदि वह उसका पालन नहीं करता है तो वह स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होगा ।

13. ठेकेदार के लिए अनिवार्य है कि वह फार्म पर लगाये गये मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत मजदूरी का भूगतान करेगा ।

14. ठेकेदार कोई भी अवांछनीय मजदूर नहीं लगायेगा व कार्य फार्म के निर्देशानुसार ही करेगा ।

15. फार्म पर खड़ी फसल को ठेकेदार या उसके आदमियों द्वारा फसल को नुकसान पहुंचाने पर निदेशक महोदय द्वारा गठित कमेटी नुकसान का जायजा लेगी तथा कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार फार्म को जो हानि होगी उसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी

16. श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान उनके खाते में करना होगा ।

17. ठेकेदार को भुगतान उसके बैंक खाते में किया जायेगा इसके लिये ठेकेदार को स्थाई खाता संख्या, IFSC कोड न0, पेन न0 देना अनिवार्य होगा । आयकर अधिनियम के अनुसार कर टैक्स की कटौती बिल में से की जाएगी ।

18. आव यकतानुसार फार्म प्रबंधन द्वारा कार्य का क्षेत्र कम या ज्यादा किया जा सकता है।

19. ठेकेदार अपना कार्य 8.00 से 5.00 बजे के बीच ही करना सुनिष्चित करेगा।

20. प्रत्येक ठेकेदार को 10 रूपये का स्टाम्प पेपर लाना होगा और कार्य शुरू करने से पहले उस पर समझौता करना होगा । इसका व्यय स्वयं ठेकेदार को करना होगा।

<u>आरबीट्रेशन सम्बंध</u> में राश्ट्रीय बीज निगम, केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार तथा ठेकेदार के बीच किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में दोनों पक्ष पारस्परिक विचार विम र्ा से सुलझाने का प्रयास करेंगे। दोनों पक्षो में आपसी विवाद नहीं सुलझने की स्थिति में दोनों पक्ष मामले का समाधान / निपटारा Arbitration & Conciliation Act 1996 की प्रावधान के अनुसार करने पर बाध्य होंगे। इसी अधिनियम में दिये गये प्रावधान के अनुसार एकल विवाचक (Arbitration) की नियुक्ति अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदे ाक सीएमडी, राश्ट्रीय बीज निगम के द्वारा दोनों पक्ष की सहमति से की जाएगी जो की दोंनों पक्ष को मान्य होगा। विवाचक का फैसला अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा । किसी भी विवाद में पक्षकारों के लिये यह आव यक होगा कि न्यायालय की भारण लेने से पहले विवाचक (Arbitration) के माध्यम से अपने विवादों का समाधान कराये। विवाचक (Arbitration) की भाशा अंग्रेजी (English) होगी व स्थान दिल्ली होगा तथा न्यायालय क्षेत्राधिकारी के **उद्देश्य** से केवल दिल्ली स्थित न्यायालय का क्षेत्राधिकार ही पक्षकारों पर लागू होगा।

(अक्षत यादव)
प्रबन्धक उत्पादन
कृते फार्म प्रमुख

मैने उपरोक्त ठेके की सभी नियम व भार्ते पढ़ व समझ ली है तथा मै ठेका आंबटित होने की स्थिति में उक्त कथित नियम व भार्ते की अनुपालना करने को तैयार हूं।

ठेकेदार के हस्ताक्षर

कृते फार्म प्रमुख